बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::संकल्प::—

श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के द्वारा दिनांक 03.08.2022 को संवेदक/परिवादी से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड सं0—039/2022 दिनांक 02.08.2022 दर्ज किये जाने के आलोक में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0—1560 सह—पठित ज्ञापांक 1561 दिनांक 20.09.2022 द्वारा दिनांक 03.08.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री कर्ण द्वारा कारा से रिहा होने के उपरान्त दिनांक 07.11.2022 को विभाग में अपना योगदान दिया गया। तदोपरान्त इनके योगदान को स्वीकृत करते हुए इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) एवं 9(1)(ग) के तहत दिनांक 07.11.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए पुनः निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता—2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. श्री कर्ण के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक—1605 अनु0 दिनांक 17.07.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत सचिव, पर्यावरण वन एवं ज0प0 विभाग—सह—जॉच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री कर्ण दिनांक 31.07.2024 को सेवानिवृत हो चुके हैं।

4. सरकारी सेवक के निलंबन में रहते हुए सेवानिवृत होने के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापांक—3/एफ—01—50/70—12753—एफ. दिनांक 26.11.1970 में स्पष्ट किया गया है कि "---Government Servants under suspension should retire on reaching the age fo superannuation irrespective of the question whether enquiries into charge or departmental or judicial proceeding initiated against them have been concluded or not." इस प्रकार निलंबित सरकारी सेवक का निलंबन वापस लेकर उसे वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित होता है।

5. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को वित्त विभाग के ज्ञापांक—3/एफ—01—50/70—12753—एफ. दिनांक 26.11.1970 के आलोक में उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.07.2024 के अपराह्न से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

6. श्री कर्ण के निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ttps://rwd.bihar.gov.in

7 दि० 03 ... (1)

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–7–04/2022 2372 /पटना, दिनांक:– 2.9.24

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–2/अ०प्र०–7–04/2022 2372 /पटना/दिनांक:– 2.9.24

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ज़िला पदाधिकारी, अररिया/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/प्रशाखा पदाधिकारी–5/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री हेमचन्द्र लाल कर्ण, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता:–मोहल्ला–चाणक्य नगर, कुम्हरार, कंकड़बाग, पटना, पिनकोड–800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–7–04/2022 2372 /पटना/दिनांक:– 2.9.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

2/9/24

संयुक्त सचिव